रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251882 CG-DL-E-06022024-251882

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] No. 79] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2024/माघ 17, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024/MAGHA 17, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (793).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (322) दिनांक 10 मार्च 2022 (प्रकाशित दिनांक 16 मार्च 2022)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) — '6 सितम्बर 2022' को '30 मई 2024' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./734/2023-24]

819 GI/2024 (1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th January, 2024

Ref: HQ-PUB-BIS (793).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (322) dated 10 March 2022 (Published on 16 March 2022)

Sl No. 03, column (5) of schedule — Substitute '30 May 2024' for '6 Sept 2022'.

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./734/2023-24]